

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 10(7) ग्रावि/नरेगा/संविदा/2010 पार्ट-1।

जयपुर, दिनांक

29 MAY 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय: महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत संविदा के एमआईएस मैनेजर के रिक्त पदों को भरने
के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(4)वित्त/नियम/2011 दिनांक
29.04.11 एवं 17.06.11 द्वारा संविदा पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु उक्त आदेशों में शिथिलता प्रदान
करते हुए जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर रिक्त एमआईएस मैनेजर के संविदा आधारित पदों को 6 माह
तक के लिए संविदा पर भरने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। एमआईएस मैनेजर के पद के लिए
शैक्षणिक योग्यता पूर्व में निर्धारित अनुसार ही होगी। यह स्वीकृति जिला जैसलमेर में जिला परिषद में रिक्त
एमआईएस मैनेजर के एक पद एवं पंचायत समिति स्तर के जिला बाड़मेर, जोधपुर, पाली, प्रतापगढ़,
चित्तौड़गढ़, झालावाड़, जालौर, जयपुर, बारां, धौलपुर, करौली एवं टोंक में एमआईएस मैनेजर के रिक्त पदों
को संविदा के आधार पर भरने के लिए दी जाती है। है। इन पदों को कार्मिकों की आवश्यकता होने पर ही
भरा जावे। इस आदेश की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना से इस विभाग को अवगत करावे।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की अन्तर्विभागीय टीप क्रमांक 101201533 दिनांक 18.05.12 द्वारा प्रदत्त
सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

भवदीय,

(अभय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
5. निजी सचिव, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास विभाग।
7. विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय-5) विभाग, जयपुर।
8. उप शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास (अनुभाग -1) विभाग, जयपुर।
9. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस।
10. मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, जयपुर।
11. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
समस्त राजस्थान।
12. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, द्वितीय, ईजीएस एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला
परिषद समस्त राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस